संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक /03/ प.क./सेल–4 /2017/298 भोपाल, दिनांक 24-03-2017

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

विषय :– आदिवासी क्षेत्रो में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन– कुछ आदिवासी उपजातियों की नसबंदी पर जोर न दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– संचालनालय का पत्र क्रं.3/प.क./2017/39 दिनांक 19.01.2017 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 10.02.2017 को की गई घोषणा अनुसार "बैगाओं के परिवार नियोजन हेतु कलेक्टर की अनुमति अब अनिवार्य होगी"। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना बैगा आदिवासी जनजाति का परिवार कल्याण ऑपरेशन न किया जाये, अन्यथा आप पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। अतः इसे प्राथमिता देवे।

संचालक(प.क.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /03/ प.क./सेल–4 /2017/299 भोपाल, दिनांक 24-03-2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
3. मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल।
4. समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर म.प्र.।
6. अवर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय की ओर उनकी टीप क्रं. 311/ मुमंका/ एक/ 2017 दिनांक 10.03.2017 के अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रं. बी 3318 दिनांक 10.02.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।.
7. संचालक, समन्वय, स्थानीय कार्यालय की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रं. बी 3318 दिनांक 10.02.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय, की ओर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संचालक(प.क.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / प.क. /2017/39 भोपाल, दिनांक 19-1-2017

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

विषय :— आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन— कुछ आदिवासी उपजातियों की नसबंदी पर जोर न दिये जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः— शासन का परिपत्र क्रं. 1725/17/मेडि—5, दिनांक 13.12. 1979।

उपरोक्त विषयातंर्गत शासन के संदर्भित परिपत्र (छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) का अवलोकन करे, जिसमें स्पष्ट लेख है कि 26 विकासखण्डो में निवासरत आदिवासियों जिसमें बैगा जनजाति भी सम्मिलित है, के बीच नसबंदी का कार्य नही किया जायेगा, परन्तु अन्य गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार एवं प्रसार आवश्यकता अनुसार किया जाता रहेगा। यदि इन आदिवासी जनजाति से संबंधित कोई भी आदिवासी अपनी स्वेच्छा से नसबंदी हेतु उपस्थित होकर जोर देकर इस सुविधा की मांग करे, तो उनसे संबंधित विकासखण्ड के विकास सहायक का इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करे कि, प्रश्नाधीन व्यक्ति आदिवासी होने के बावजूद नसबंदी सुविधा प्राप्त करने पर जोर दे रहा है, जब कि उन्हें ऑपरेशन के परिणामों की जानकारी मौखिक रूप से भी दे दी गई है, के प्राप्त होने के उपरांत नसबंदी की जा सकेगी, प्राप्त प्रमाण पत्र, संबंधित व्यक्ति के अभिलेख में सुरक्षित रखा जावेगा।

अतः शासन के उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न— उपरोक्तानुसार 03 पेज।

संचालक (प.क.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/3/प.क./सेल—4/2017/40 भोपाल, दिनांक 19-01-2017

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर छत्तीसगढ़।
3. स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
4. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
6. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
7. कलेक्टर जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़।
8. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
9. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी म.प्र.।

संचालक (प.क.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(13)

प्रपत्र "क"

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक/1725/ 17/मेडि-5 भोपाल, दिनांक 13-12-1979

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय :- आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालक कुछ आदिवासी उपजातियों की नसबंदी पर जोर न दिये जाने के संबंध में निर्देश।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी द्वारा आपको वर्ष 79-80 के लिये जिलेवार नसबंदी एवं अन्य गर्भनिरोधक साधनों तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य सूचित किये जा चुके है। इन लक्ष्यों को आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य संस्थाओं/कार्यकर्ताओं के बीच बांटा होगा इस संबंध में विशेष ध्यान इस ओर आकर्षित है कि ऐसे आदिवासी उप समूहों के बीच नसबंदी आपरेशन पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाना है जिनकी जनसंख्या वृद्धि नगण्य है अथवा जनसंख्या बढ़ाने की बजाय कम हो रही है। प्रदेश में ऐसी कुछ उप जातियां आदिम जाति शोध संस्थान तथा आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग के सहयोग से चिन्हित की गई है। इन उपजातियों के सदस्यों की नसबंदी नहीं की जाना है। वे उप जातियां है :-

(1) अंध, (2) बेगा चक के बैगा आदिवासी (3) पातालकोट के भारिया आदिवासी (4) बिरहार (5) बिरहुल या बिरहर आदिम जाति समूह (6) रायगढ़ और सरगुजा जिलों के पहाड़ी कोरबा (7) कीर आदिवासी समूह (8) मझी आदिवासी समूह (9) [redacted] (अस्पष्ट) [redacted] (अस्पष्ट/अपठित)

(2) उपरोक्त निर्देशों का सही रूप से पालन हो और विशिष्ट उप जातियों की आदिवासी जनसंख्या की नसबंदी कार्यक्रम के अधीन जोर जबरदस्ती से या प्रलोभन से कोई क्षति न पहुँचे, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि

..2..

उपरोक्त आदिवासियों की उप जातियों के सदस्यों की नसबंदी की सुविधा [redacted] करवाई जावे।

§3§ इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि नसबंदी की सुविधा [redacted] आवेदन [redacted] जावे।

जिला	विकास खण्ड
§1§ बस्तर	§1§ अबुझमाड़, §2§ [redacted] §3§ [redacted] §4§ कटेकल्याण §5§ कोन्टा §6§ दन्तेवाड़ा §7§ [redacted]
§2§ दुर्ग	§8§ कुसमी
§3§ राजनांदगांव	§9§ [illegible]पुर
§4§ रायपुर	§10§ गरियाबन्द
§5§ बिलासपुर	§11§ पण्डी अपरोरा
§6§ रायगढ़	§12§ दलदुला
§7§ सरगुजा	§13§ सीतापुर §14§ उदयपुर §15§ बलरामपुर §16§ अंबिकापुर §17§ प्रेमनगर §18§ ओड़गी §19§ भरतपुर
§8§ शहडोल	§20§ पाली
§9§ मण्डला	§21§ अमरपुर और §22§ मवई
§10§ बालाघाट	§23§ बिरसा
§11§ छिन्दवाड़ा	§24§ तामिया §25§ हर्रई
§12§ बैतुल	§26§ भीमपुर

§4§ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त 26 विकास खण्डों में आदिवासियों के बीच नसबंदी का कार्य नहीं किया जायेगा परन्तु अन्य गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार एवं प्रसार आवश्यकतानुसार किया जाता रहेगा। इन जिलों के मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अधीन कार्य पर [illegible] "स"

[illegible] दिया जायेगा । यदि उपरोक्त वर्णित विकास खण्डों में कोई [illegible] अपनी प्रेरणा से नसबंदी हेतु उपस्थित हो और जोर देकर सुविधा [illegible] की मांग करें तो संबंधित विकास खण्ड के विकास सहायक से लिखित प्रमाण-पत्र इस आशय का कि प्रमाणधीन व्यक्ति आदिवासी होने के बावजूद नसबंदी सुविधा प्राप्त करने पर जोर दे रहा है और उसे आपरेशन के परिणामों की जानकारी दे दी गई है, प्राप्त होने पर नसबंदी की जा सकेगी और यह प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्ति के अभिलेख में हिफाजत से रखा जायेगा ।

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर वर्णित 26 विकास खण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डों (सामान्य और आदिम जाति दोनों) में नसबंदी की सेवायें सभी को उपलब्ध कराई जावेंगी और आदिवासी सदस्यों को भी नसबंदी अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा । उपरोक्त 26 विकास खण्डों के अतिरिक्त अन्य विकास खण्डों में आदिम जाति के सदस्य भी नसबंदी [illegible] राशि व क्षति पूर्ति राशि के लिये हकदार होंगे ।

(इन निर्देशों द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) के परिपत्र क्रमांक 3/परि०/19410 : 421 दिनांक 11-12-70 में संशोधन किया गया है और इस प्रकार संचालनालय का उक्त परिपत्र इस पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित माना जावेगा ।

हस्ता/-
(एन. के. वैद्य)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, भोपाल ।